

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/217  
मुकदमा नम्बर 55/2025

दर्ज दिनांक— 05.05.2025

मुखराम रणवां पुत्र श्री पेमाराम , जाति जाट निवासी नवलडी,तहसील नवलगढ़ जिला झुझुनू  
—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री विजेन्द्र सिंह दूत  
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 19.09.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम नवलडी की सरहद में स्थित भूमि नाई खाता संख्या 812 की भूमि ख० नं० 857 रकबा 0.3800 है०, ख० नं० 858 रकबा 0.0800 है०, ख० नं० 859 रकबा 0.0600 है०, ख० नं० 860 रकबा 0.3600 है० व ख० नं० 836 रकबा 0.3100 है० कुल रकबा 1.7300 है० नई खाता संख्या 117 की भूमि ख० नं० 874 रकबा 1.0800 है०, ख० नं० 875 रकबा 0.0600 है०, ख० नं० 876 रकबा 0.9900 है०, ख० नं० 877 रकबा 0.0200 है०, ख० नं० 878 रकबा 1.0800 है०, ख० नं० 879 रकबा 0.9500 है०, ख० नं० 880 रकबा 0.0400 है० कुल रकबा 4.2200 है० व नई खाता संख्या 811 की भूमि ख० नं० 2187 / 1095 रकबा 0.8100 है०, ख० नं० 2188 / 1095 रकबा 0.1200 है०, ख० नं० 2189 / 1095 रकबा 1.6491 है०, राजस्व रिकार्ड में "मुखाराम पुत्र पेमाराम" के स्थान पर "मुखराम रणवां पुत्र पेमाराम" दुरुस्त कर दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8470 दिनांक 18.06.2025 पेश हुई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नवलगढ़


बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8470 दिनांक 18.06.2025 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वयं द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम नवलड़ी की सरहद में स्थित भूमि नई खाता संख्या 812 की भूमि ख० नं० 857 रकबा 0.3800 है०, ख० नं० 858 रकबा 0.0800 है०, ख० नं० 859 रकबा 0.0600 है०, ख० नं० 860 रकबा 0.3600 है० व ख० नं० 836 रकबा 0.3100 है० कुल रकबा 1.7300 है० नई खाता संख्या 117 की भूमि ख० नं० 874 रकबा 1.0800 है०, ख० नं० 875 रकबा 0.0600 है०, ख० नं० 876 रकबा 0.9900 है०, ख० नं० 877 रकबा 0.0200 है०, ख० नं० 878 रकबा 1.0800 है०, ख० नं० 879 रकबा 0.9500 है०, ख० नं० 880 रकबा 0.0400 है० कुल रकबा 4.2200 है० व नई खाता संख्या 811 की भूमि ख० नं० 2187/1095 रकबा 0.8100 है०, ख० नं० 2188/1095 रकबा 0.1200 है०, ख० नं० 2189/1095 रकबा 1.6491 है०, राजस्व रिकार्ड में "मुखाराम पुत्र पेमाराम" के स्थान पर "मुखाराम रणवां पुत्र पेमाराम" दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./25/8470 दिनांक 18.06.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ़ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( सुशील कुमार सैनी )RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़  
जिला-झुझुनू

31/5/25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.)नवलगढ

क्रमांक / भू अ / 2025 / 8470

दिनांक 18/6/2025

प्रेषिति : - श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

नवलगढ

विषय : -उनवानी प्रकरण मुखराम रणवां बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. / 2024 अ.धा.136 के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने बाबत।

प्रसंग : -श्रीमान के आदेश क्रमांक कोर्ट / तहसीर / 25 / 266 दिनांक 05.05.2025 की पालना में।

महोदय

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत निवेदन है माननीय न्यायालय के उनवानी प्रकरण मुखराम रणवां बनाम तहसीलदार नवलगढ मु.न. / 2024 अ.धा.136 के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट पटवारी हल्का नवलडी से प्राप्त हुई है। जो मूल ही श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न : - मूल रिपोर्ट

तहसीलदार (भू.अ.)  
नवलगढ

Rev.  
24.6.25  
R. 966  
24.6.25

दिनांक 16/06/25 को न्यायालय उपजूस अधिकारी, नवलगा में नवलगा प्रकरण मुखराम रणवा बनाम तहसीलदार नवलगा, कु.न. 1/2024 अ.धा.136 में न्यायालयक जांच रिपोर्ट बाबत राजस्व ग्राह नवलगा में प्रपुत्री (राजस्व ग्राह नवलगा) के खाता नं. 811 के श्रमि खसरा न.  $\frac{2187}{0.81}/1095$ ,  $\frac{2188}{0.1209}/1095$ ,  $\frac{2189}{1.6491}/1095$  कुल किला 03


कुल रकबा 2.58 तथा ग्राह नवलगा के खाता न. 117 के श्रमि खसरा न.  $\frac{874}{1.08}$ ,  $\frac{875}{0.06}$ ,  $\frac{876}{0.99}$ ,  $\frac{877}{0.02}$ ,  $\frac{878}{1.08}$ ,  $\frac{879}{0.95}$ ,  $\frac{880}{0.04}$  कुल किला 07

कुल रकबा 4.22, खाता न. - 812 के श्रमि खसरा न.  $\frac{857}{0.38}$ ,  $\frac{858}{0.08}$ ,  $\frac{859}{0.60}$ ,  $\frac{860}{0.36}$ ,  $\frac{863}{0.31}$  कुल किला 05 कुल रकबा 1.73 हे

वर्तमान जमाबंदी 2025-28 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, जिसमें प्रार्थी का नाम मुखराम पुत्र पैमाराम हिस्या क्रमशः -  $\frac{1}{24}$ ,  $\frac{1}{25}$ ,  $\frac{1}{26}$  जातिपत्र का अंकन है जो कि शुद्ध हैं। प्रार्थी के पहचान पत्र पत्नी - भाष्यार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आत्मपहचान पत्र, कार्ड में इनका नाम मुखराम रणवा 810 पैमाराम का अंकन है जो कि शुद्ध/सही हैं। शान्तिवासीयों से सव प्रस्ताव करने पर बताया गया है कि प्रार्थी का सही नाम पहचान पत्रों के अनुसार की है।

अतः ग्राह नवलगा के खाता न. - 811, 812, 117 के उपरोक्त खसरा नम्बरों में प्रार्थी का नाम मुखराम पुत्र पैमाराम के स्वाम पर मुखराम रणवा पुत्र पैमाराम किया जाना उचित है।

आई गौका पत्रक खोला गया। उपरिक्त लीमी के हस्ताक्षर लिख गए।

श्री साहू नाम   
अधीक्षक (आ.धा.)  
कानून शाखा  
नवलगा

Sony Me  
16/06/25  
पञ्जाब नवलगा  
तहसील नवलगा